Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- अलवर में आरोपी कन्हैयालाल हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली एवं मजलिश दलाल प्राईवेट व्यक्ति को 1,30,000/– रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

जयपुर, दिनांक 15 अक्टूम्बर, बुधवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी अलवर प्रथम द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **कन्हैयालाल हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली जिला अलवर** व **मजलीश दलाल प्राईवेट व्यक्ति** को 1,30,000/– रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी अलवर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी के विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज है। उक्त प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी कन्हैयालाल सहायक उप निरीक्षक है। अनुसंधान अधिकारी कन्हैयालाल ने परिवादी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में एफआर देने व एफआर को कोर्ट में पेश करने के लिये उनके दलाल मजलिस खां के मार्फत **1,50,000/–रूपये** की रिश्वत मांग कर परेशान कर रहे है।

जिस पर दिनांक 14.10.2025 को शिकायत का सत्यापन करवाये जाने पर आरोपी के दलाल द्वारा एफआई मे इस पर दिनांक 14.10.2025 को मांग सत्यापन के दौरान दर्ज केस में एफआर देने व एफआर को कोर्ट में पेश करने के लिये आरोपी की उपस्थिति में दलाल मजलिस खां के मार्फत 1,30,000/– रूपये की रिश्वत मांग करना तथा तथा सहमत होने के तथ्य स्पष्ट रूप से पाये गये, जिस पर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही आज दिनांक 15.10.2025 को आरोपीगण मजलिश, दलाल प्राईवेट व्यक्ति ने अपनी उक्त मांग के क्रम में 1,30,000/– रूपये की रिश्वत राशि परिवादी से लेने पर ही उपस्थित आरोपी कन्हैयालाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली जिला अलवर को दी गई। दोनो आरोपीगण को रिश्वत राशि प्राप्त करते हुये निरूद्ध किया गया। रिश्वत की राशि पुलिस थाना कोतवाली अलवर में आरोपी के अनुसंधान कक्ष में रखी टेबल की दराज से बरामद की गई।

ए.सी.बी. जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस–प्रथम श्री राजेश सिंह** के सुपरवीजन में ए. सी.बी.चौकी अलवर प्रथम के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेन्द्र कुमार** टीएलओ द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही करते हुए कन्हैयालाल हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली जिला अलवर व मजलिश दलाल प्राईवेट व्यक्ति को परिवादी से 1,30,000/–रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

आरोपी से पुछताछ एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।